सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 कार्तिक, 1947 (श०)

संख्या - 516 राँची, बुधवार, 19 नवम्बर, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

17 अक्टूबर, 2025

संख्या-5/आरोप-1-82/2019-33404 (HRMS)--श्री शिवशंकर पाण्डेय, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-480/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर, पलामू के विरूद्ध उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-1618, दिनांक 27.08.2019 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया।

आरोप पत्र में श्री पाण्डेय के विरूद्ध अनियमित रूप से एल0पी0सी0 निर्गत करने, राजस्व नियमावली के प्रतिकूल कार्य करने तथा सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल आचरण करने संबंधी कुल-03 आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7834, दिनांक 27.09.2019 द्वारा श्री पाण्डेय से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री पाण्डेय के पत्रांक-659, दिनांक 11.12.2019 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री पाण्डेय के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1360, दिनांक 20.02.2020 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-714, दिनांक 08.06.2020 द्वारा श्री पाण्डेय के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री पाण्डेय के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, पलामू से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-24029(HRMS), दिनांक 12.09.2023 द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-396, दिनांक 08.07.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री पाण्डेय के विरूद्ध प्रतिवेदित एक भी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित नहीं किया गया।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा अंकित किया गया कि आरोपी पदाधिकारी के द्वारा आरोपवार स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। आरोप सं0-1 के संबंध में श्री पाण्डेय द्वारा अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है कि श्रीमती सिंधु देवी से भूमिधारण संबंधी प्रमाण पत्र के निमित विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने के उपरांत इसकी स्थानीय एवं स्थलीय जाँच करायी गयी। श्री सिंधु देवी की बहन इन्दु देवी एवं बिन्दु देवी द्वारा दिये गये आवेदन पत्र के आधार पर कुल रकवा 1.07 एकड़ में से 0.71 1/3 ए0 भूमि का भूमि धारण प्रमाण पत्र पूर्व में निर्गत किया गया है। इस आधार पर शेष 0.32 एकड़ भूमि का भूमिधारण प्रमाण पत्र राजस्व उप निरीक्षण एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में एल0पी0सी0 आरोपी पदाधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित कर निर्गत किया गया है।

आरोप सं0-2 के संबंध में श्री पाण्डेय द्वारा अंकित है कि आवेदिका के पति श्री नरेन्द्र दुबे द्वारा सम्पूर्ण भूमि का एल0पी0सी0 निर्गत करने हेतु अनुचित तरीके से बदाव दिया जा रहा था। उनके मनमाफिक कार्य करने से मेरे द्वारा इंकार करने पर मानसिक रूप से दबाव देने के लिए मनगढ़ंत एवं झूठा मामला माननीय लोकायुक्त में दाखिल किया गया।

श्री पाण्डेय के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई।

समीक्षोपरांत विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री शिवशंकर पाण्डेय, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 480/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर, पलामू को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री शिवशंकर पाण्डेय, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SHEO SHANKAR PANDEY JHK/JAS/306	श्री शिवशंकर पाण्डेय, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 480/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर, पलामू को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 516 - 50